

10/2014

637

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

//संशोधित आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 06-12-16

क्रमांक एफ 7-1/2014/स.क./26 :: राज्य शासन एतद्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2014 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार "तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड" का गठन करता है :-

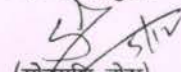
- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. मान. मंत्री, समाज कल्याण, छ.ग. शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | - | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग | - | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव/सचिव, विधि विभाग | - | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग | - | सदस्य |
| 7. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | - | सदस्य |
| 8. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग | - | सदस्य |
| 9. प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग | - | सदस्य |
| 10. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग | - | सदस्य |
| 11. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | - | सदस्य |
| 12. प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग | - | सदस्य |
| 13. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग | - | सदस्य |
| 14. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग | - | सदस्य |
| 15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग | - | सदस्य |
| 16. सचिव, समाज कल्याण विभाग | - | सदस्य |
| 17. संचालक, समाज कल्याण | - | सदस्य |
| 18. संचालक/अपर संचालक, समाज कल्याण विभाग | - | सदस्य/सचिव |
| 19. तृतीय लिंग वर्ग के 04 तथा स्वयंसेवी संस्था का एक प्रतिनिधि | - | अशासकीय सदस्यगण |

2/ बोर्ड का निम्नानुसार दायित्व होगा :-

- 2.1 बोर्ड अन्तर्विभागीय समन्वय कर योजनाओं का लाभ दिलायेगा।
 - 2.2 बोर्ड इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं आय वृद्धि के बिन्दुओं पर जोर देगा।
 - 2.3 बोर्ड एक एजेंसी के रूप में इस वर्ग के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकेगा।
- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(सोत्रप्रणि बोरा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-1/2014/स.क./26

नया रायपुर, दिनांक 06-12-16

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीगण (समस्त), छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
4. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग/वित्त/गृह/विधि/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास/कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार/नगरीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन/जनसम्पर्क/समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. श्री अरविन्द पी. मई, शासकीय अधिवक्ता, मान. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
8. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
11. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
12. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
13. समस्त संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण (छत्तीसगढ़)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

162

**छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—00—**

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 02.12.2014
कमांक एफ 7-1/2014/सक/26 :: राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए गठित तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के बिन्दु कमांक 12 के संबंध में तृतीय लिंग वर्ग एवं स्वयंसेवी संस्था से निम्न सदस्यों का मनोनयन किया जाता है :-

- | | | |
|-----|--|--------|
| 01. | सुश्री विकास राजपूत, स्वयंसेवी संस्था मितवा की प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 02. | सुश्री रवीना, तृतीय लिंग वर्ग की प्रतिनिधि | —सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.डी. दोहर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

नया रायपुर, दिनांक 02.12.2014

कमांक एफ 7-1/2014/सक/26,
प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सुश्री विकास राजपूत की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री रवीना की ओर सूचनार्थ।

(पी.डी. दोहर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

1468
02.12.14

22/12/14
02/12/14
4 DEC 2014

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //



नया रायपुर, दिनांक 8/12/2017
क्रमांक एफ 7-1/2014/सक/26 :: राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने लिए गठित तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के बिन्दु क्रमांक 19 के संबंध में तृतीय लिंग वर्ग से निम्न सदस्य का मनोनयन किया जाता है :-

01. सुश्री कंचन शेन्द्रे, तृतीय लिंग वर्ग की प्रतिनिधि

— सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमती दिवा
1/12/17

अ.दि.
(बी.एल. बंजारे)
अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

नया रायपुर, दिनांक 8/12/2017

पृ. क्रमांक एफ 7-1/2017/सक/26
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
 2. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
 3. निज सहायक, सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 4. उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़।
 5. सुश्री कंचन शेन्द्रे, शहीद भगत सिंह स्कूल, तितूरडीह दुर्ग, जिला-दुर्ग।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अ.दि.
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

2 DEC 2017

स.क.सं.चा.
छ.ग., रायपुर

अपर सचिव
स.क.सं.चा.
रायपुर (छ.ग.)